प्रार्थना पत्र संख्याः– 549 / 2021
हनुमान आदि बनाम अमरसिंह आदि
निर्णय दिनांकः–7/2/23

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलैक्टर बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

पीठासीन अधिकारी :– सुनील कुमार चौहान आर.ए.एस.

राजस्व वाद स. 549 / 2021

1. हनुमान पुत्र रामस्वरूप
2. रामकुमार पुत्र रामस्वरूप
3. ग्यारसी पुत्री रामस्वरूप
4. फुलसिंह पुत्र रामस्वरूप
5. लीलाराम पुत्र रामस्वरूप
6. सुबेसिंह पुत्र रामस्वरूप
7. प्रभातीलाल पुत्र चतरू
8. रामचन्द्र पुत्र चतरू
9. सुनिता पत्नि विजयसिंह
10. मोनिका पुत्री विजयसिंह
11. रेखा पुत्री विजयसिंह
12. रवि पुत्र विजयसिंह

जातिगण अहीर निवासीगण रामसर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

................आवेदक

– ब ना म –

1. अमरसिंह पुत्र कानाराम उर्फ भानाराम
2. ओमप्रकाश पुत्र खुबाराम
3. कबुल पुत्री हरिसिंह
4. कमला पुत्री हरिसिंह
5. नारायणसिंह पुत्र कुरड़ाराम
6. रतनसिंह पुत्र कुरड़ाराम
7. कंवरसिंह पुत्र सोहन
8. कृष्णा पुत्री छाजूराम
9. कालूराम पुत्र श्योनारायण
10. गजानन्द पुत्र हरिसिंह
11. ग्यारसी पुत्री छाजूराम

जातिगण अहीर निवासीगण रामसर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज)

12. गिन्दोड़ी पत्नि कानाराम उर्फ भानाराम
13. तारावती पुत्री गोरधन
14. बाली पुत्र गोरधन
15. अनारली पुत्री गोरधन
16. जगदीश प्रसाद पुत्र उमराव
17. जयदयाल पुत्र भूराराम
18. ज्योति पुत्री सत्यवीरसिंह
19. जीतराम पुत्र खुबाराम
20. दलीपसिह पुत्र हरिसिंह
21. दलीपसिह पुत्र छाजूराम
22. महेश पुत्र दीनाराम

जातिगण अहीर निवासीगण रामसर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.03.10 11:41:51 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

23. मुकेश पुत्र दीनाराम
24. विनोद पुत्र दीनाराम
25. दीपक पुत्र सत्यवीरसिह
26. धुमा पुत्री कानाराम
27. गुरूदयाल पुत्र दर्जनसिंह नवीरा नेता
28. बनवारी पुत्र भूराराम
29. बलवानसिह पुत्र श्योनारायण
30. बाबुलाल पुत्र हरिसिंह
31. बाबुलाल पुत्र छाजूराम
32. श्रीचन्द पुत्र भोलाराम
33. ओमप्रकाश पुत्र भोलाराम
34. शीशराम पुत्र भोलाराम
35. मुकेश पुत्री हरिसिंह
36. मुर्ती देवी पत्नि हरिसिंह
37. मेवा पुत्री खुबाराम
38. मोहरसिंह पुत्र उमराव
39. विश्म्भर पुत्र जोरूराम नवीरा रेखा
40. संजय पुत्र रामजीलाल नवीरा जोरूराम
41. बबलू पुत्र रामजीलाल नवीरा जोरूराम
42. रमेश पुत्री हरिसिंह
43. रविदत पुत्र छाजूराम
44. रविन्द्र पुत्र हरिसिंह
45. राजेन्द्र पुत्र सोहन
46. राजबाला पुत्री छाजूराम
47. राजसिंह पुत्र छाजूराम
48. राम भतेरी पुत्री हरिसिंह
49. रामचन्द्र पुत्र खुबाराम
50. योगित पुत्र रामनिवास
51. शुभम पुत्री रामनिवास
52. सरोज पत्नि रामनिवास
53. सुनिता पत्नि रामसिंह
54. अरूण पुत्र रामसिंह
55. रामावतार पुत्र खुबाराम
56. लाली पुत्री हरिसिंह
57. शकुन्तला पत्नि शेरसिंह
58. अर्पित पुत्र शेरसिंह
59. संतोष पुत्री खुबाराम
60. सन्तरा पुत्री हरिसिंह
61. सुभाषचन्द पुत्र उमराव
62. सुमित्रा पत्नि सत्यवीरसिंह
63. हर्षित पुत्र सत्यवीरसिंह

जातिगण अहीर निवासीगण रामसर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.03.10 11:41:51 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

प्रार्थना पत्र संख्याः– 549 / 2021
हनुमान आदि बनाम अमरसिंह आदि
निर्णय दिनांकः– 7/2/23

64. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा भिर्र जरिये शाखा प्रबन्धक
65. लैण्ड–होल्डर तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

.... अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा – 251(क) राज. कास्त अधि.

उपस्थिति –

1. श्री राजेश यादव, अधिवक्ता – आवेदकगण की ओर से ।
2. श्री सुरेन्द्र यादव अधिवक्ता ,अनावेदक स. 5, 7, 16, 19,38, 39, 40, 41,43, 45, 45, 47, 49, 55 की ओर से । शेष विरूद एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई ।

–:: निर्णय ::–

दिनांक – 7/2/2023

आवेदक की ओर से हस्तगत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राज. कास्त अधि. संक्षिप्ततः इन अभिवचनो के साथ प्रस्तुत किया गया हैं कि:–

1. यह कि वाके ग्राम रामसर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.) स्थित भूमि ख. न. 719 रकबा 0.30 हैक्टर के खातेदार आवेदकगण हैं ख.न. 719 के लिये रिकार्ड में कोई कटानी रास्ता नही है बल्कि गांव की आबादी भूमि ख.न. 700 से ख.न. 707, ख.न. 708 मे से होते हुये ख.न. 719 मे मौके पर प्रचलित रास्ता है।
2. यह कि भूमि ख.न. 708, ख.न. 707 आवेदकगण की भूमि के पूर्व में स्थित है ख. न. 700 भी ख.न. 708, ख.न. 707 के उत्तर पूर्व में स्थित है ख.न. 707 की भूमि ख.न. 700 के साथ लगी हुई है ख.न. 707 जो की गै.मू.आबादी है अर्थात ख.न. 707 तक आबादी भूमि मे रास्ता मौजूद है। ख.न. 708 से उत्तर मे ख.न. 705 है लेकिन उसमे पुख्ता मकान पुराने मकान है एवं उनमे भी ख.न. 708 व ख.न. 707 वाले रास्ते से ही जाया जाता है।
3. यह कि आवेदकगण की भूमि ख.न. 719 रकबा 0.30 है. है। तथा अनावेदक सं. 1 लगायत 64 के नाम भूमि ख.न. 708 रकबा 0.09 है. व ख.न. 707 रकबा 0.15 है. दर्ज है प्रतिवादी सं. 65 से प्रतिवादी सं. 38 ने ऋण ले रखा है।
4. यह कि आवेदकगण की खातेदारी की भूमि ख.न. 719 रकबा 0.30 है. में आवेदकगण ख.न. 708 , ख.न. 707 की भूमि में से आवागमन कर अपनी भूमि को आवेदकगण कास्त करते है फसल काटते एवं लाटते है। अर्थात ख.न. 719 के लिये मौके पर ख.न. 707 व 708 मे से रास्ता मौजूद है जिसका नजरी नक्शा आवेदन पत्र के साथ पेश है।
5. यह कि ख.न. 719 के लिये ओर कोई रास्ता नही है ना ही कोई वैकल्पिक रास्ता की सुविधा है तथा ख.न. 719 से गांव मे से खेत मे जाने का यही एक मात्र प्रचलित एवं सुगम व सुविधा जनक रास्ता है। तथा आवेदकगण रास्ता के लिये बनाये गये कानूनी प्रावधानों के अनुसार डी.एल.सी. रेट की दोगुनी राशी का भुगतान करने या जो भी न्यायालय [illegible] आदेश देवे उसकी पालना करने को तैयार एवं तत्पर है।
6. यह कि आवेदकगण की भूमि ख.न. 719 के लिये रास्ता की इसके अलावा अन्य कोई सुविधा नही है ना ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था है एवं अनावेदगण ने अब दोनों की सीमाओं पर तार बान्ध दिये जिससे आवेदक का पैदल भी अपने खेत

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.03.10 11:41:51 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

में जाना असम्भव हो गया है जिससे आवेदक को ऐसी अपूर्तनीय क्षति है जिसका मुद्रा मे मूल्याकंन नही किया जा सकेगा इसलिए आवेदक के लिये यह आवेदन पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

7. यह कि आवेदन पत्र के लिये आधार विवाद आवेदक की खातेदारी भूमि ख.न. 719 होने एवं उसके लिये कोई रास्ता नही होने व विवादित स्थल सबसे सुगम एवं कम दूरी होने एवं ख.न. 700 से ख.न. 708 तक मौके पर रास्ता होने से यह आवेदन पत्र पेश किया जाना आवश्यक हुआ है जो अन्दर मियाद है वैसे भी इस प्रकार के आवेदन पत्र के लिए कानून में कोई मियाद निर्धारित नही है।

8. यह कि अनावेदक सं. 38 ने अनावेदक सं. 65 से अपनी कृषि भूमि पर ऋण ले रखा है तथा अनावेदक सं. 66 लैण्ड होल्डर होने से आवश्यक पक्षकार होने से उन्हे पक्षकार बनाया गया है।

9. यह कि आवेदकगण की भूमि व चाहे गये रास्ता की भूमि वाके ग्राम रामसर के स्थित है जो न्यायालय श्रीमानजी की हदूद मे होने से यह आवेदन पत्र सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमानजी को प्राप्त हैं।

10. यह कि आवेदन पत्र 2/–रू. कोर्ट फीस पर सेवामे पेश हैं।

11. यह कि आवेदन पत्र के समर्थन मे आवेदक का शपथ पत्र पेश हैं।

अतः आवेदन पत्र पेश कर निवेदन हैं कि आवेदकगण का आवेदन पत्र विरूद अनावेदकगण स्वीकार किया जाकर ग्राम रामसर स्थित भूमि ख.न. 707 मे स्थित कुएं के दक्षिण से ख.न. 707 मे से होते हुये ख.न. 708 की उत्तर सीमा के सहारे – सहारे ख.न. 708 मे से आवेदकगण की भूमि ख.न. 719 तक नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार ख.न. 708 व ख.न. 707 मे से 13 फीट चौड़ाई में रास्ता कायम कर उसे गैर मु. रास्ता राजकीय भूमि दर्ज कर मौके पर भी रास्ता का मापन एवं सीमाकन कर कायम किये जाने की कृपा करे।

आवेदन पत्र दर्ज रजिस्ट्रर कर तलबी अनावेदकगण की जारी की गई जिसमें से अनावेदक स. 5, 7, 16, 19,38, 39, 40, 41, 43, 45, 45, 47, 49, 55 की ओर से श्री सुरेन्द्र यादव अधिवक्ता उपस्थित आये। शेष विरूद एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। अनावेदकगण ने जवाब पेश नही किया दोनो पक्षो द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन कर तहसीलदार बुहाना से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई जिस पर दोनों पक्षो को सुना गया मौका रिर्पोट पर किसी भी पक्षकार ने कोई आपत्ति नही की। इसलिए आवेदक का आवेदन पत्र विरूद अनावेदकगण स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

– :: आदेश ::–

अतः वाके ग्राम रामसर स्थित आवेदक की भूमि ख.न. 719 के लिए ख.न. 707 व 708 मे से 4 मीटर चौड़ा रास्ता मुताबिक मौका रिर्पोट तहसीलदार बुहाना को कायम करने का आदेश जा[illegible] यह भूमि आदेश दिया जाता हैं कि वह उक्त भूमि की डी.एल.सी. [illegible] निर्धारण करे एवं आवेदक को आदेश दिया जाता हैं कि [illegible] रास्ते [illegible] आने वाली भूमि की डी.एल. सी. दर की दोगूनी राशि का संबंधित खातेदारों को भुगतान करे उनके द्वारा प्राप्त नही करने की स्थिति मे राजकोष मे [illegible] करवाये तथा तहसीलदार बुहाना को आदेश दिया जाता हैं कि वह मुताबिक मौका रिर्पोट दिनांक 07.11.2022

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.03.10 11:41:51 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र संख्या:– 549 / 2021
हनुमान आदि बनाम अमरसिंह आदि
निर्णय दिनांक:– 7/2/23

राजस्व रिकॉर्ड मे रास्ता कायम कर मौके पर सीमाकंन एवं मापन कर रास्ता कायम करे । राजस्व रिकॉर्ड मे उक्त भूमि को गै.मू. रास्ता राजकीय भूमि दर्ज करे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना

यह निर्णय आज दिनांक 7/2/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से मुद्राकिंत कर खुल्ले कोर्ट मे सुनाया गया हैं।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.03.10 11:41:51 IST
Reason: SelfAttested